न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–2, अम्बेडकर नगर।

सत्र परीक्षण संख्या–148/2015

उ०प्र० राज्य – – – बनाम – – – दयाशंकर आदि

दिनांकः 18.11.2023

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष द्वारा प्रा०पत्र कागज सं०–31ब अंतर्गत धारा–319 दं०प्र०सं० के निस्तारण पर बल दिया गया।

निस्तारण प्रा०पत्र कागज संख्या–31ब

उक्त प्रा०पत्र कागज संख्या–31ब प्रार्थी/परिवादी रामनिहाल की ओर से मुख्य रूप से इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उक्त वाद में प्राथमिकी/परिवादपत्र में एवं परिवादी के बयान अन्तर्गत धारा 200 द.प्र.सं. में एवं साक्षीगण के बयान अन्तर्गत धारा 202 दं.प्र.सं. में विधानचन्द पुत्र रामबहाल निवासी ग्राम दामोदरपुर चकिया, थाना सम्मनपुर, जिला अम्बेडकर नगर को अपराध में संलिप्त होने का स्पष्ट रूप से नाम है। शपथीय मौखिक साक्ष्य के रूप में पी०डब्लू०–1 के रूप में रामनिहाल, पी०डब्लू०–2 के रूप में बदामा देवी, पी०डब्लू०– 3 के रूप में सत्येन्द्र कुमार व पी०डब्लू–4 के रूप में रंगीलाल का बयान अंकित किया गया है। बयानो में विधानचन्द के नाम का अपराध में संलिप्तता पूर्ण रूप से अंकित है। बयानों/साक्ष्यों, परिवादपत्र एवं संलग्नक अन्य प्रपत्रों से विधानचन्द के विरूद्ध उक्त वाद का अपराध प्रथमदृष्टया पूर्णतः साबित है। पत्रावली में उपलब्ध परिवादपत्र एवं साक्ष्यो के आलोक में विधानचन्द को बतौर अभियुक्त के रूप में तलब कर मुकदमें में अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्यायहित में है। अतः प्रार्थना की गई है कि प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार कर उक्त वाद में विधानचन्द को बतौर अभियुक्त तलब करने की कृपा करें।

बचावपक्ष की ओर से आपत्ति कागज संख्या–32ब के माध्यम से मुख्यरूप से कथन किया गया है कि तथ्य के तीनों साक्षीगण पी०डब्लु०–1, पी०डब्लु०–2 व पी०डब्लु०–3 घटना के चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, न ही ये लोग कोई घटना स्वयं देखा है। मात्र एक तथाकथित चक्षुदर्शी साक्षी राजाराम के बताने के आधार पर घटना के बारे में जाना है तथा साक्षी राजाराम अभियोजनपक्ष द्वारा परीक्षित नहीं कराये गये हैं। इस प्रकार तथ्य के उक्त साक्षीगण का साक्ष्य महत्वहीन है एवं साक्ष्य अधिनियम के तहत ग्राह्य नहीं है। परिवादी द्वारा विधानचन्द को तलब न करने के वि० मजिस्ट्रेट के आदेश के विरूद्ध फौजदारी निगरानी योजित की गई, जिसे न्यायालय द्वारा दि० 10.05.2019 को गुण दोष के आधार पर निरस्त कर दिया गया था। मृतक का न तो पंचायतनामा हुआ, न पोस्टमार्टम हुआ एवं न ही कोई मेडिकल हुआ है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त करने की प्रार्थना की गई है।

प्रार्थी/परिवादी रामनिहाल की ओर से प्रतिआपत्ति कागज संख्या–32ब के माध्यम से मुख्यरूप से कथन किया गया है कि जिस साक्ष्य से अभियुक्त रमाकांत पर कार्यवाही चल रही है, वही साक्ष्य प्रथमदृष्टया विधानचन्द को तलब करने हेतु न्यायहित में पर्याप्त है। अभियुक्त रमाकांत का प्रार्थना पत्र में यह कथन कि मृतक का न तो पोस्टमार्टम, न ही कोई मेडिकल हुआ है, यह कथन समुचीत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि मेडिकल जाँच रिपोर्ट से एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यो से विधानचंद तलब किये जाने योग्य है। आपत्ति पत्र विधिक तौर पर पोषणीय नही है। अतः प्रार्थना की गई है कि अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत आपत्ति निरस्त करने की कृपा करें।

वि० अधिवक्ता उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

दं०प्र०सं० 1973 की धारा 319 की उपधारा (1) अभिकथित करती है कि–

" जहां अपराध में किसी जॉच या विचारण के अनुक्रम में, साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने, जो अभियुक्त नहीं है, कोई अपराध कारित किया है, जिसके लिए ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ

विचारण किया जा सकता था तो न्यायालय उस अपराध के लिए जो उसके द्वारा कारित किया गया प्रतीत होता है, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही कर सकता है।"

उक्त विषयक माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधिक दृष्टांतों में व्यक्त किया गया निम्नलिखित मत संदर्भयोग्य है–

" The Court must arrive at the satisfaction that there exists a possibility that the accused so summoned in all likelihood would be convinced. The power of summoning U/s. 319 is not to be exercised in a routine and mechanical manner is to invoked when on consideration of all the materials available on record the court feels the neccessity of impeading some persons as accused. **[Mohd. Shafi V. Mohd. Rafiq, (2007) 14 SCC 544, Ramakant Tripathi V. State of U.P. 2009 Cr.L.J. 459 (All.HC), Rajinder Singh V. State of U.P., 2007 Cr.L.J. 4281 (SC), Saroj Ben Ashwin Kumar Shag V. State of Gujarat, 2011 (74) ACC 951 (SC)]**

प्रा०पत्र प्रदर्श क–1 के अनुसार, दिनांक 22.2.01 को जब परिवादी घर पर मौजूद नहीं था तो परिवादी के गांव के दयाशंकर, रमाकांत, फूलचन्द, जानकी देवी, विधानचन्द्र एकराय होकर आपस में साजिश करके परिवादी के लड़के देवेन्द्र कुमार को जान से मारने की नियत से रात में करीब 11 बजे, जब परिवादी के लड़के व पत्नी खाना खाकर सोने जा रही थी, तो उक्त विपक्षी रमाकांत साजिश के तहत परिवादी के घर पर आया और बुलाकर अपने घर ले गया। उसका घर गाँव के उत्तरी किनारे पर है और कहा कि आप लोग सोइये, देवेन्द्र से कुछ काम है, काम करने के बाद वापस आयेंगे। उसकी बात पर विश्वास करके परिवादी की पत्नी व बच्चे सो गये। परिवादी के परिवार वाले समझे कि देवेन्द्र आकर अपनी चारपाई पर सोया होगा। दिनांक 23.02.01 की सुबह करीब 05.00 बजे परिवादी की पत्नी शौच हेतु अपने मकान के पीछे गयी तो वहां पर देखा कि उसका लड़का देवेन्द्र जमीन पर बेहोश हालत में पड़ा है। परिवादी की पत्नी का रोना सुनकर परिवादी का लड़का सत्येन्द्र कुमार व परिवार के अन्य लोग तथा राजाराम व गांव के तमाम लोग इकट्ठा हो गये। लोगों ने देखा कि परिवादी का लड़का वहाँ पर उल्टी भी किया था। तब राजाराम ने बताया कि कल रात्रि में 11.30 बजे के लगभग जब मैं चकरोड से आ रहा था तो रमाकान्त के दालान में अभियुक्तगण रमाकांत, दयाशंकर, जानकी देवी, विधानचन्द्र एवं फूलचन्द्र देवेन्द्र कुमार को घेरे बैठे थे और उसे कुछ जबरदस्ती पिला, सुंघा रहे थे। परिवादी की अनुपस्थिति में परिवादी के लड़के देवेन्द्र को परिवादी की अनपढ़ पत्नी को मुल्जिमान रमाकांत, विधानचन्द्र, परिवादी की जीप से सीधे अकबरपुर न लाकर बसखारी ले गये, जहां पर सरकारी डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने भर्ती व दवा इलाज करने से इंकार कर दिया। उसके बाद मेरी पत्नी व लड़के सत्येन्द्र सीधे जिला अस्पताल फैजाबाद ले गये। मेरी स्त्री व लड़के के साथ अभियुक्तगण रमाकांत व विधानचन्द्र साथ–साथ में लगे रहे। फैजाबाद से दूसरे दिन प्रातः लखनऊ मेडिकल कालेज के लिये डॉक्टर ने भेज दिया, जहाँ पर 4–5 दिन लड़के का इलाज हुआ। इलाज के दौरान लखनऊ मेडिकल कॉलेज में परिवादी के लड़के की मृत्यु हो गई।

बतौर पी०डब्लु०–1 परिवादी/वादीमुकदमा रामनिहाल द्वारा मुख्यपृच्छा में दिये गये बयान के अनुसार, परिवादी को राजाराम ने बताया कि घटना दिनांक 22.02.2001 को समय लगभग 11:30 बजे रात में जब वह चकरोड से वापस आ रहा था तो रमाकांत के दालान में अभियुक्तगण रमाकांत, दयाशंकर, जानकी देवी, विधानचन्द एवं फूलचन्द्र परिवादी के लड़के देवेन्द्र कुमार को घेरे बैठे थे और देवेन्द्र को जबरदस्ती कुछ सूंघा व खिला रहे थे। प्रायः इसी आशय का बयान पी०डब्लु०–2 बदामा देवी तथा पी०डब्लु०–3 सत्येन्द्र कुमार द्वारा भी अपनी मुख्यपृच्छा में दिया गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षीगण घटना के चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हैं तथा घटना में संलिप्त अभियुक्तगण की जानकारी साक्षी राजाराम के

बताये के अनुसार उक्त साक्षीगण को हुई है। प्रकरण के चक्षुदर्शी साक्षी राजाराम को अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया है, जिसके बताने के आधार पर ही अभियुक्तगण के विरूद्ध यह मुकदमा संचालित किया गया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से चक्षुदर्शी साक्षी राजाराम के बयान अभी अंकित नहीं कराये गये हैं, उसके साक्ष्योपरांत ही कोई निष्कर्ष निकाला जाना न्यायसंगत होगा। अतः इस स्तर पर अभियुक्त विधानचन्द्र को तलब करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तदनुसार स्वीकार होने योग्य नहीं है।

आदेश

प्रार्थना पत्र कागज संख्या–31ब निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 18.12.2023 को पेश हो।

दिनांक: 18.11.2023

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या–2, अम्बेडकर नगर।
जे०ओ० कोड–(UP 1561)

Digitally signed by Abhishek Kumar Srivastav
Date: 2023.11.18 17:03:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court